संख्या- 01 /2017/1564/22-4-16-50(7नि0)99टीसी

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 02 जनवरी, 2017

विषय- प्रदेश की 12 संवेदनशील कारागारों में मोबाइल फोन जैमर स्थापित किये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि अग्रिम के अग्रिम भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-41793/आधु-1/मो0फो0जै0/2014, दिनांक-25 नवम्बर, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु द्वितीय चरण में 12 संवेदनशील कारागारों में मोबाइल फोन जैमर स्थापित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-140/2016/982/22-4-16-50(7नि0)99टीसी, दिनांक 02 सितम्बर, 2016 द्वारा रू0 71,28,80,000/-(रूपया इकहत्तर करोड़ अट्ठाइस लाख अस्सी हजार मात्र) की लागत पर प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसे मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (ईसीआईएल) द्वारा अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अत: सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश की 12 संवेदनशील कारागारों में मोबाइल फोन जैमर स्थापित किये जाने हेतु उक्त स्वीकृत धनराशि की 40 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0 28,51,52,000/-(रूपया अट्ठाइस करोड़ इक्यावन लाख बावन हजार मात्र) मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (ईसीआईएल) को आहरित कर अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत अग्रिम आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.83 तथा संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 10.06.2011 में निहित शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) समस्त सम्बन्धित वित्तीय नियमों, प्रक्रिया और इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन और यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए जिम्मेदार होंगे।

(4) क्रय किये जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एवं दर सुनिश्चित करने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) महानिरीक्षक कारागार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपकरणों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो और मूल्य बाजार दर से अधिक न हो।

(6) प्रक्योरमेण्ट मैनुअल के अध्याय-11 के प्रस्तर-11.18 के अनुसार ब्याज की देयता के सम्बन्ध में महानिरीक्षक कारागार अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(7) अग्रिम धनराशि के सम्तुल्य कार्यदायी संस्था से बैंक गारण्टी प्राप्त किया जाना सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

(8) उक्त धनराशि का समायोजन दिनांक 31.03.2017 तक कर लिया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि के आहरण से यदि कोई हानि होती है, तो उसके लिए आहरण-वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

3- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग की अशासकीय संख्या-एफ0ए0-1-496/दस-2016, दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-01/2017/1564(1)/22-4-16-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबंध निदेशक, बी-2 डीडीए शापिंग काम्प्लेक्स, रिंग रोड नारायना, नई दिल्ली।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (लेखा) अनुभाग-1
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in